हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम तो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
...25 पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 30/10/25 को पेश हो।	
30/10/25 पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। निर्णय अलग से लिखाया जाकर खो० पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते इस्तकरार विभाजन प्रस्ताव दि० 9-12-25 को पेश हो। उपजिलाधिकारी	
9/12/25 अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है। पी० अ०. साहब अन्य कार्य व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते दिनांक 20/1/26 पेश हो।	
20/1/26 पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते इस्तकरार विभाजन प्रस्ताव दि० 24/2/26 को पेश हो।	
24 2/26 पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते इस्तकरार विभाजन प्रस्ताव दि० 24/3/26 को पेश हो।	
24/3/26 पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। शा० मि० हो। पत्रावली वास्ते अवलोकन विभाजन प्रस्ताव दि० 9/4/26 को पेश हो।	
9/4/26 पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। TDR द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया व वकील वादी को सुना गया। बाद सुनवाई विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। प्रमाण अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली नत्थी ... दाखिल दफ्तर हो। उपजिलाधिकारी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :–24 / 2025

लीलाधर पुत्र रतनलाल जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. हुकमाराम पुत्र गिदाराम जाति नायक निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
2. भोलूराम पुत्र मनोहरी पुत्री गिदाराम जाति नायक निवासी दूंकर तहसीलबीदासर जिलाचूरू
3. भंवराराम पुत्र ग्यारसीदेवी जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिलाचूरू
4. राजुराम पुत्र ग्यारसीदेवी जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिलाचूरू
5. सुखाराम पुत्र ग्यारसीदेवी जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिलाचूरू
6. हडमानाराम पुत्र ग्यारसीदेवी जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिलाचूरू
7. पानादेवी पुत्री ग्यारसीदेवी जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिलाचूरू
8. मुन्नीदेवी पुत्री ग्यारसीदेवी जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिलाचूरू
9. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9-4-26

उपरोक्त वाद पत्र में मुताबिक न्यायालय आदेश दिनांक 04.11.2025 के तहसीलदार बीदासर द्वारा रोही ग्राम ढढेरू भांभूवान के खेत खसरा संख्या 631 तादादी 0.1518 हेक्टेयर भूमि का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रारम्भिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बीदासर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वादगत भूमि खसरा संख्या 631 तादादी 0.1518 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 0.0632 हेक्टेयर भूमि पर वादी का कब्जा काश्त बताया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी ने कोई आपति नहीं की है।

बहस सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव को वकील वादी ने स्वीकार किया। वकील वादी ने वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वाद को अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः वादी के वाद को इस प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम ढढेरू भांभूवान खसरा संख्या 631 तादादी 0.1518 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 0.0632 हेक्टेयर भूमि विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वादी अकेले के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष वादगत भूमि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के प्रतिवादीगण के संयुक्त नाम से अलग खातेदारी में दर्ज की जावे। विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 9/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
लीलाधर बनाम हुकमाराम आदि
दावा बाबतः–विभाजन, चिर निषेधाज्ञा बाबत।

मु.नं.– 24/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते मुद्दई व पेरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व इस प्रकार अन्तिम डिक्री की जाती है कि रोही ग्राम ढढेरू भांभूवान खसरा संख्या 631 तादादी 0.1518 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 0.0632 हेक्टेयर भूमि विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वादी अकेले के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष वादगत भूमि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के प्रतिवादीगण के संयुक्त नाम से अलग खातेदारी में दर्ज की जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

चीज......–......मुबलिग......–......बाबत......–......खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक......–......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख....9/4/26....

मुहर

दस्तखत ....
उपखण्ड अधिकारी

ओहदा..........
बीदासर (चूरु)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)